(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2714—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 05.08.14 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 91/अपील/2003—04.

.....

1—हनुमंत सिंह 2—रतीराम
3—हरीराम 4—रामसहाय
पुत्रगण फेरन सिंह
निवासी ग्राम खैराई तहसील
करैरा जिला शिवपुरी म0 प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—हेमराज पुत्र नारायण
2—रामजी लाल
3—काशीराम पुत्रगण कुन्जा
4—नन्दकिशेर
5—धनीराम पुत्रगण लच्छूराम
निवासीगण ग्राम खैराई तहसील
करैरा जिला शिवपुरी म0 प्र0
6—म0 प्र0 शासन

——— अनावेदकगण

.....

श्री एस0 पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया एवं श्री ओ0 पी0 शर्मा अनावेदकगण
श्री अजय चतुर्वेदी, पैनल अभिभाषक, अनावेदक—6

.....

आदेश

(आज दिनांक 05-10-18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.04 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी मेमों के साथ धारा –5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है।

2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम खैराई की शासकीय भूमि कलेक्टर जिला शिवपुरी के आदेश दिनांक 13.5.02 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन व्यक्तियों को बंटन किया जाना था इस हेतु इश्तहार जारी किया गया एवं पटवारी से व्यक्तियों की सूची तलब की जाकर जिसमें आराजी सर्वे कमांक 45, 46 मिन रकवा 0.86 है0 हेमराज के नाम सर्वे कमांक 45 मिन एवं 50 मिन रकवा 0.90 है0 रामजीलाल के नाम नन्द किशोर को सर्वे कमांक 86 मिन रकवा 0.50 है0 सर्वे कमांक 86 मिन रकवा 0.50 है0 धनीराम के नाम सर्वे कमांक 86 मिन रकवा 0.73 है0 काशीराम के नाम नायब तहसीलदार वृत्त–2 करैरा जिला शिवपुरी के समक्ष पटट्ा की मांग की गई। उक्त आवेदन से प्रकरण कमांक 42/अ–19/2001–02 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 27.6.02 से पटटे प्रदाय किये गये। उक्त आदेश के विरूद्व तहसील न्यायालय में शिकायत प्राप्त हुई। नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी से जांच कराई गई, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पुनः जांच हेतु पुर्नावलोकन की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी करैरा की ओर भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी करैरा द्वारा दिनांक 10.2.03 को पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई। अनावेदकगण कमांक 1 लगायत 5 अपात्र होने से आदेश दिनांक 19.2.2003 के द्वारा पटटे निरस्त किये गये। इससे दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी करैरा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं प्रकरण पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका तर्क है कि विवादित आराजी का बंटन करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा इस्तहार का प्रकाशन और ग्राम पंचायत

के पटल पर एवं तहसील न्यायालय के पटल पर प्रकाशन की प्रति चस्पा नहीं की गई। आवेदकगण के उक्त भूमि पर पेड़ खड़े हुये है तथा लगभग 40 वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज कास्त करते चले आ रहे हैं। आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदकगण के नाम एवं पूर्वजों के नाम पूर्व से भूमि है इस कारण अनावेदकगण भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं। मौजा पटवारी द्वारा गलत जानकारी देकर भूमि अनावेदकगण के नाम अवैध रूप से बंटित की है। उसे नायब तहसीलदार द्वारा पुर्नावलोकन में लेकर आदेश दिनांक 19.2.03 निरस्त किये जाने में कोई कानूनी भूल नहीं की है, उसे अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी अधिकार क्षेत्र के अर्थात अपात्र व्यक्तियों के पटटे् बहाल करने में कानूनी भूल की है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि का बंटन करते समय स्थल निरीक्षण नहीं किया है। भूमिहीन के संबंध में ग्राम पंचायत से कोई सहमति नहीं ली और न ही नायब तहसीलदार ने मौके पर जाकर जांच की है। इसलिये बंटन निरस्त योग्य है। विवादित आराजी पर कब्जाधारियों को बिना सूचना विवादित आराजी का बंटन किया है जो उक्त बंटन आदेश निरस्त कर भूमिहीन लोगों को बंटन किया जाना चाहिये। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी करैरा का आदेश दिनांक 12.8.04 निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा इश्तहार का प्रकाशन करने के बाद ही अनावेदकगण को पटटे् प्रदाय किये थे और शिकायती आवेदन पर दिये गये पटटे् निरस्त करने में नायब तहसीलदार करैरा द्वारा त्रुटि की गई है। अनावेदकगण के पटटे् निरस्त किये गये थे उसमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी करैरा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार की गई जो विधि प्रावधानों से उचित है। अनावेदकगण के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि भी नहीं है। अनावेदकगण को पटटे् प्राप्त करने की पात्रता होते हुये भी नायब तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी द्वारा पटटे् निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से उनका आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। धारा–5 का आवेदन सदभाविक होने से स्वीकार किया जाता है। प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्राम खैराई की शासकीय भूमि कलेक्टर जिला शिवपुरी के आदेश दिनांक 13.5.02 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन व्यक्तियों को बंटन किया जाना था इस हेतु इश्तहार जारी किया गया एवं पटवारी से व्यक्तियों की सूची तलब की जाकर जिसमें आराजी सर्वे क्रमांक 45, 46 मिन रकवा 0.86 है0 हेमराज के नाम सर्वे क्रमांक 45 मिन एवं 50 मिन रकवा 0.90 है0 रामजीलाल के नाम नन्द किशोर को सर्वे क्रमांक 86 मिन रकवा 0.50 है0 सर्वे क्रमांक 86 मिन रकवा 0.50 है0 धनीराम के नाम सर्वे क्रमांक 86 मिन रकवा 0.73 है0 काशीराम के नाम नायब तहसीलदार वृत्त–2 करैरा जिला शिवपुरी द्वारा पटटे् स्वीकृत किये गये थे, लेकिन शिकायत आवेदन आने पर उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा से पुर्नावलोकन की अनुमति लेकर पटट्ाधरियों के पटटे् निरस्त किये गये हैं । अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा लगभग 7 माह के विलंब से की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 के आवेदन का निराकरण अंतिम आदेश में ही किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटवारी के आवेदन का अवलोकन नहीं किया गया जो नायब तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ –191 में संलग्न है उसमें स्पष्ट पटवारी द्वारा लेख किया गया है कि अनावेदकगण के पास भूमि है और वह भूमि होते हुये भी उनके द्वारा गलत जानकारी देकर पटटे् प्राप्त किये गये हैं, जिससे नायब तहसीलदार करैरा द्वारा पटटे् निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनका आदेश दिनांक 19.2.03 उचित प्रतीत होता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी करैरा द्वारा पटवारी के प्रतिवेदन का अवलोकन किये बगैर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी करैरा का आदेश दिनांक 12.8.04 निरस्त किये जाने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी का प्रकरण क्रमांक 91/अपील/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 12.8.04 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं विवादित भूमि म0 प्र0 शासन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, तथा

प्रकरण इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार करैरा को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा खसरा 2006–07 की सत्यप्रतिलिपि इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसमें कब्जेदार के रूप में उनका नाम अंकित है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जाय जिससे यह सिद्व हो सके कि पटटे् की पात्रता अनावेदकगण को है अथवा नहीं, इस संबंध में पुनः जानकारी प्राप्त करें, अनावेदकगण को पटटे् की पात्रता न होने पर उक्त भूमि म0 प्र0 शासन दर्ज की जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर